



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय  
(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)  
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM AND COMMUNICATION  
(Setup by Act No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्र. अका./2017/१३४


भोपाल दिनांक २३.06.2017

## आदेश

विश्वविद्यालय में सत्र 2017-18 से प्रवेशित विद्यार्थियों के प्रवेश निरस्त होने अथवा स्वेच्छा से प्रवेश निरस्त कराये जाने पर निम्नानुसार प्रोसेसिंग शुल्क की कटौती की जायेगी।

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	प्रोसेसिंग शुल्क
1	पी.जी.डी.सी.ए., डी.सी.ए. एवं सांध्यकालीन पाठ्यक्रम	रु. 2000/-
2	शेष अन्य पाठ्यक्रम	रु. 5000/-

विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में इस संबंध में जारी आदेश क्र. अका./2016/1339 दिनांक 05-10-2016 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।


  
(दीपक शर्मा)  
कुलसचिव

पृ.क्र. अका./2017/१३५

भोपाल दिनांक २३.06.2017

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव कुलपति, निज सहायक कुलाधिसचिव/कुलसचिव को सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/परिसर प्रभारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. निदेशक, प्रवेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. निदेशक, संबद्ध अध्ययन संस्थाओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. प्रभारी, सांध्यकालीन पाठ्यक्रम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. वित्त अधिकारी को सूचनार्थ।
7. प्रभारी वेबसाइट को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु।
8. आदेश पुस्तिका।

  
(दीपक शर्मा)  
कुलसचिव